अतिआवश्यक/पेंशन प्रकरण

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर।

क्रमांकः– अराज/सामान्य/विविध/2017/ दिनांकः–

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन– जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/अजमेर।

विषयः– लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा पेंशन प्रकरणों की मासिक सूचना माह मार्च 2017 का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके अधीन जिलो में अधिकांश संख्या में पेंशन प्रकरण एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित चले आ रहे है। निदेशालय द्वारा आपको समय समय पर परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाता रहा है कि समस्त कार्मिको के सेवानिवृति तिथी तक आवश्यक रूप से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। माह मार्च 2017 की स्थिति में संभाग स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरणों की निम्न प्रकार है :–

जोन	छ माह से कम अवधिक के लम्बित प्रकरण	छः माह से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरण
बीकानेर	09	05
कोटा	10	22
अजमेर	09	12
जोधपुर	09	11
भरतपुर	39	28

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संभाग स्तर पर जिलो के कार्यालय/संस्थानों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व अधीक्षक, सम्बद्व चिकित्सालयों के लेखा कर्मियों की मासिक बैठक प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व आयोजित करना सुनिश्चित करावें। उक्त बैठक मे संभाग स्तर पर कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर संबंधित प्रकरणो में क्या कार्यवाही अपेक्षित है, कि रिपोर्ट प्राप्त कर बैठक कार्यवाही विवरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवावें तथा मासिक बकाया प्रकरणों की सूचना प्रत्येक माह ही 10 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवावें।

पेंशन प्रकरणो से संबंधित विभिन्न न्यायालयों मे चल रहे प्रकरणों की समीक्षा करें तथा जिन प्रकरणों में समय पर पेंशन परिलाभ का भुगतान नही किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में उप निदेशक(जोन) को तत्काल जॉच अधिकारी नियुक्त कर प्रकरण की जांच करावें एवं दोषी लोक सेवको का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये संबंधित कार्मिको के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर 10 दिवस के अन्दर अन्दर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जजयपुर।

क्रमांकः– अराज/सामान्य/विविध/2017/836 दिनांकः– 13/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन जयपुर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 816 दिनांक 28.3.2017 द्वारा लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना 31.3.2017 तक चाही गई थी जो स्मरण पत्र 827 दिनांक 7.4.2017 एवं दूरभाष द्वारा बार बार स्मरण कराये जाने के पश्चात् भी अभी तक माह मार्च 2017 की सूचना अप्राप्त है। लम्बित पेंशन प्रकरणों को राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। अतः महत्वपूर्ण लम्बित पेंशन प्रकरणों की वांछित सूचना अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता की ई–मेल **Add4ng@gmail.com** पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें ताकि अन्य संभाग की सूचना के साथ संकलित की जा सके साथ ही उक्त पत्र में वर्णित दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करें।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड के साथ संबंधित को ई–मेल भी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

13/4

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।